झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा

[चतुर्थ (शीतकालीन)सत्र]

05 दिसम्बर,2025 (ई०)

शुक्रवार,तिथि----------

14 अग्रहायण,1947(श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

(01)- अध्यक्ष का प्रारम्भिक वक्तव्य।

सभापति तालिका की घोषणा

(02)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-10(1) के अन्तर्गत सभापति तालिका की घोषणा।

समितियों का गठन

(03)-झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

-: औपचारिक-कार्य :-

(04)-माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रति का प्रभारी मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखा जाना।(यदि हो)

(05)-सभा द्वारा विगत सत्र में स्वीकृत माननीया राष्ट्रपति तथा माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की विवरणी का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना।

(06)-अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

(07)- शोक-प्रकाश

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।
कृ०पृ०उ०/--

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-11/2025-3385/वि0स0,राँची,दिनांक-04/12/25

प्रतिलिपिः-माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3385
04/12/2025

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-11/2025-3385/वि0सं0,राँची,दिनांक-04/12/25

प्रतिलिपिः-अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

3385
04/12/2025

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-11/2025-3385/वि0स0,राँची,दिनांक-04/12/25

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3385
04/12/2025

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

04/12/25

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्याः–शून्यकाल–03/2025–....2543...../वि0स0।

प्रेषक,

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

राँची,दिनांकः–03/12/25

विषयः– झारखण्ड विधान–सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम 303 के तहत् सदन में पढी जाने वाली शून्यकाल की सूचना के संबंध में।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि षष्टम् झारखण्ड विधान–सभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र दिनांक–05.12.2025 से 11.12.2025 तक आहूत है। झारखण्ड विधान–सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 303 के तहत् सत्रावधि में शून्यकाल की सूचना देने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैः–

1. माननीय सदस्यों द्वारा दी गई शून्यकाल की सूचनाएँ–झारखण्ड विधान–सभा में वितरण पटल के पास स्थित प्रतीक्षालय में दिनांक–08.12.2025 से सत्रावधि तक कार्य संचालन के नियम 303 के अनुरूप 10:00 बजे पूर्वा0 तक प्रत्येक सत्र के दिन प्राप्त की जायेगी।
2. सूचना देने के लिये माननीय सदस्यों को सशरीर उपस्थित होकर शून्यकाल से संबंधित पंजी में हस्ताक्षर एवं समय दर्ज करेंगे।
3. माननीय सदस्यों द्वारा अपने दूत के माध्यम भेजी गई शून्यकाल की सूचनाएँ सशरीर उपस्थित होकर माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं के पश्चात् विचारणीय होगा।
4. झारखण्ड विधान–सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 304 (3) के तहत् शून्यकाल की सूचना अधिक से अधिक 50 (पचास) शब्दों में होनी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध की यथा–निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शून्यकाल की सूचनाएँ देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
02/12/25
(रंजीत कुमार)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञापांक– शून्यकाल–03/2025–....2543...../वि0स0,राँची,दिनांक– 03/12/25

प्रतिः–माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड/सभी माननीय मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

02/12/25
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक–शून्यकाल–03/2025–....2543...../वि0स0,राँची,दिनांक– 03/12/25

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

02/12/25
(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

02.12.25

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–06

तृतीय (मॉनसून) पूरक सत्र
गुरूवार, दिनांक–28अगस्त, 2025 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 06.01 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही प्रतिपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा अपनी–अपनी माँगों को लेकर प्रदर्शन एवं शोरगुल प्रारम्भ।)

1.प्रश्नकालः–

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–30)

(क) अपृष्ठ कुल–04

क्रम सं०–78, अ०सू०–28	श्री नवीन जयसवाल,	स०वि०स०,
क्रम सं०–79, अ०सू०–19	श्री रोशनलाल चौधरी,	स०वि०स०,
क्रम सं०–80, अ०सू०–22	श्री नवीन जयसवाल,	स०वि०स०,
क्रम सं०–81, अ०सू०–05	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल–26 — क्रम सं०–82 से 107 तक।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–40)

(क) अनागत कुल–40, — तारां० क्रम संख्या–144 से 183 तक।

2.सूचना का दिया जानाः–

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा सूचना के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया कि विधान सभा परिसर में भारत रत्न डॉ० भीमराव आम्बेडकर, सिद्धो–कान्हू एवं दिशोम गुरू, स्वर्गीय शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा लगायी जाय,
2. माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव ने सूचना के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि कोडरमा के विभिन्न जगहों यथा स्कूल, मंदिर एवं अन्य प्रतिष्ठानों में प्रत्येक दिन चोरी की घटना हो रही है जिसे रोकने हेतु सरकार द्वारा अविलम्ब कदम उठायी जाय,
3. माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल ने सदन को अवगत कराया कि राँची विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव पर, विश्वविद्यालय विधेयक की आड़ में रोक लगायी जा रही है जिससे वहाँ के छात्र आंदोलनरत् हैं तदुपरांत माननीय मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया कि

3. विश्वविद्यालय विधेयक में इस तरह की कोई रोक नहीं है। मंत्री महोदय के इस वक्तव्य के उपरांत विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जोरदार प्रतिकार करने तथा वेल में आ जाने के कारण उत्पन्न भारी शोरगुल एवं अव्यवस्था के उपरांत सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।)

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3.शून्यकालः–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री मंगल कालिन्दी,
श्री सुरेश कुमार बैठा,
श्रीमती मंजू कुमारी,
डॉ० लोईस मराण्डी,
श्री चन्द्रदेव महतो,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री नरेश प्रसाद सिंह,
श्री रोशनलाल चौधरी,
श्री कुमार उज्ज्वल,
श्री प्रकाश राम,
श्री अमित कुमार,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री निर्मल महतो,
श्री सोनाराम सिंकू,
श्री जयराम कुमार महतो,
श्री सुदीप गुड़िया,
श्री राजेश कच्छप,
श्रीमती ममता देवी,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री शत्रुघ्न महतो,
श्री राज सिन्हा,
श्री भूषण बड़ा,
श्री संजीव सरदार।

4.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँः–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना एवं उनपर दिये गये वक्तव्य निम्नवत् हैं–

I-माननीय सदस्य, श्री चन्द्रदेव महतो द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

II-माननीय सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद महतो एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

III-माननीय सदस्या, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

प्र० प्र० 30 –

iv-माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

5.आसन से घोषणा:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–263(1) के तहत चलते सत्र के दौरान दिनांक–22.08.2025 से दिनांक–26.08.2025 तक कुल–16 निवेदनों को स्वीकृत किया गया जिसपर सदन की सहमति के उपरांत सम्बन्धित विभागों को भेजे जाने सम्बन्धी घोषणा आसन से की गयी।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

आसन की अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा आग्रह किया गया कि दिनांक–26.08.2025 को **SIR** को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था, सम्पूर्ण सदन से उस प्रस्ताव का विनिश्चिय भी कर दिया गया था जो उस दिन के कार्यवाही में भी उल्लिखित है। कार्यवाही में यह भी उल्लेख है कि माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव जी द्वारा जब यह पूछा गया कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ तब आसन से यह कहा गया कि सत्तापक्ष में बहुमत है तो यह प्रस्ताव स्वतः सदन से पारित है। अतएव आसन से सिर्फ यह आग्रह है कि केन्द्र सरकार को **SIR** से सम्बन्धित इस आशय का पत्र प्रेषित कर दिया जाय जिसपर आसन द्वारा सहमति जतायी गयी।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा दिशोम गुरू, स्व० शिबू सोरेन को भारत रत्न देने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजने में इस बात का अवश्य उल्लेख किया जाय कि आजादी के बाद से अब तक आदिवासी समाज के किसी भी व्यक्ति, जो अपने–अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हैं, को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है।

6.राजकीय संकल्प:–

आसन की अनुमति से माननीय मंत्री, श्री दीपक बिरूवा ने प्रस्ताव किया कि **"दिशोम गुरू, स्व० शिबू सोरेन जी को भारत रत्न दिये जाने का अनुरोध यह सभा भारत सरकार से करती है"**, जो सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबू लाल मराण्डी द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह भी अनुरोध किया कि मरांग गोमके स्व० जयपाल सिंह मुण्डा एवं स्व० बिनोद बिहारी महतो का भी नाम इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाय।

7.गैर सरकारी संकल्प:–

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मॉनसून) पूरक सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर–सरकारी संकल्प की सूचनाएँ दी गयी जिसपर सरकारी उत्तर के पश्चात् उनके द्वारा संकल्प वापस लिया गया –

क्र. सं.	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01.	श्री नागेन्द्र महतो	झारखण्ड राज्य में पंचायत जनप्रतिनिधियों को केन्द्रीय वित्त आयोग के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग से फंड उपलब्ध कराना।	वापस
02.	श्री अरूप चटर्जी	राज्य के आर.टी.ई. पात्रता मानदण्ड में वार्षिक आय सीमा को 72,000/रु० से बढ़ाकर 3,00,000/रु० किया जाना।	वापस
03.	श्री प्रदीप प्रसाद	हजारीबाग सहित राँची एवं अन्य शहरों में जल–जमाव की समस्या का स्थायी समाधान।	वापस
04.	श्री सरयू राय	धनबाद जिलान्तर्गत रैयतों एवं सरकारी भूमि को अवैध कब्जा से मुक्ति तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	वापस
05.	श्री अमित कुमार यादव	राज्य के ओ.बी.सी. के लिए सभी नियुक्तियों में 27% आरक्षण लागू कराना।	वापस
06.	श्री नवीन जयसवाल	हरमू हाउसिंग बोर्ड के द्वारा चिन्हित जमीन पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाना।	वापस

क्र० 40/30 –

07.	श्री अमित कुमार	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक–04/वि.स., गै.स.–17/25, 885/रा., दिनांक–26.03.25 के आलोक में जाँच कर दोषियों पर अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित कराना।	वापस
08.	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	पेस्का, ओखरगाड़ा, डुमरिया, विश्रामपुर एवं गोदरमाना को प्रखण्ड बनाना। (अधिकृत प्रश्नकर्ता, माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल)	वापस
09.	श्री राजेश कच्छप	आदिवासी/मूलवासी विस्थापित रैयतों की भूमि वापसी सुनिश्चित करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु संवैधानिक क्षमतायुक्त आयोग का गठन।	वापस
10.	श्री आलोक कुमार चौरसिया	नरसिंहपुरपथरा को प्रखण्ड मुख्यालय बनवाना।	वापस
11.	मो० ताजुद्दीन	साहेबगंज में रेलवे वाशिंग पिट निर्माण के लिए झारखण्ड सरकार से प्रस्ताव प्रेषित कराना।	वापस
12.	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	वर्तमान वित्तीय वर्ष में अमानत बराज को पूर्ण कराकर किसानों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। (माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)	वापस
13.	श्री दशरथ गागराई	सरायकेला–खरसावाँ के कुचाई प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराना।	वापस
14.	श्री जनार्दन पासवान	चतरा सदर अंचल के 07 गाँवों को कान्हाचट्टी अंचल में अविलम्ब शामिल कराना। (माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)	वापस
15.	श्री राज सिन्हा	धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जीर्ण–शीर्ष अवस्था में पड़े विभिन्न पथों का एन.ओ.सी. दिलाते हुए निर्माण कराना।	वापस
16.	श्री रामचन्द्र सिंह	लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड को यथाशीघ्र अनुमण्डल का दर्जा दिलाना।	वापस
17.	श्री सुरेश कुमार बैठा	कांके विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खलारी प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाया जाना।	वापस
18.	श्री नरेश प्रसाद सिंह	कोयल नदी पर क्षतिग्रसत पुल की जाँच कराते हुए एक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	वापस
19.	श्री चन्द्रदेव महतो	+2 हाई स्कूलों में पद सृजित कर शिक्षकों का पदस्थापन करना। (सभा की सहमति से कार्यवाही पर्यन्त सदन का अवधि विस्तार किया गया।)	वापस
20.	प्रो० स्टीफन मराण्डी	महेशपुर में विद्युत अवर प्रमण्डल कार्यालय की स्थापना एवं सहायक विद्युत अभियंता का पदस्थापन करना।	वापस
21.	श्री निर्मल महतो	बोकारो जिले के कसमार प्रखण्ड के खैराचातर पंचायत में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना।	वापस
22.	श्री उमाकांत रजक	धारा–87 के तहत लम्बित सभी मामलों का निराकरण विशेष कोर्ट द्वारा संचालित कराना।	वापस
23.	श्री अनन्त प्रताप देव	श्री वंशीधर नगर, ऊँटारी को गढ़वा जिला से विभाजित कर नया जिला बनाना। (अधिकृत प्रश्नकर्ता, माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार)	वापस

24.	श्रीमती श्वेता सिंह	बी.एस.एल. से विस्थापित ग्रामों को पंचायती राज व्यवस्था में अविलम्ब शामिल कराना।	वापस
25.	श्री उदयशंकर सिंह	देवघर जिले के सारठ प्रखण्ड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना।	वापस
26.	श्री मथुरा प्रसाद महतो	धनबाद जिला अन्तर्गत टुण्डी प्रखण्ड के पलमा गाँव में अवस्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को पूर्व की भाँति पुनः संचालित कराना।	वापस
27.	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र में आवासीय राजकीय स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना कराना।	वापस
28.	श्री प्रकाश राम	लातेहार जिला के बालूमाथ को अनुमण्डल बनाना।	वापस
29.	श्री जयराम कुमार महतो	विस्थापितों की समस्याओं के निदान हेतु विस्थापन आयोग का गठन कराना।	वापस
30.	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	टी.आर.डब्लू. द्वारा ट्रॉन्सफार्मर वितरण में अनियमितता की जाँच एवं इसका सुधार कराना।	वापस
31.	श्री शत्रुघ्न महतो	बाघमारा के कोयला खदानों के पिट वाटर का उचित प्रबंधन कर जलापूर्ति कराना।	वापस
32.	श्री संजय कुमार सिंह यादव	दीवानबीघा आर.सी.डी. रोड से उत्तर कोयल मुख्य नहर के बायीं ओर से देवरी छतरपुर आर.सी.डी. रोड तक पथ निर्माण कराना।	वापस
33.	श्री प्रदीप यादव	सरकारी नौकरियों में आरक्षण की उच्चतम सीमा 50 % को समाप्त कर आबादी के अनुरूप निर्धारित कराना।	वापस
34.	श्री हेमलाल मुर्मू	पाकुड़ जिला के अमरापाड़ा प्रखण्ड में एक आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) की स्थापना कराना।	वापस

8. गैर सरकारी संकल्प के दौरान प्राप्त सूचनाः–

गैर सरकारी संकल्प के दौरान निम्न सूचनाएँ प्राप्त हुई–

1. माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार चौरसिया द्वारा यह अनुरोध किया गया कि चैनपुर का सड़क एवं कोयल नदी पर एक पुल का निर्माण कराया जाय,
2. माननीय सदस्य, श्री सुरेश पासवान द्वारा यह अनुरोध किया गया कि देवघर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत भारी वर्षा से लगभग 70–80 ट्रॉंसफार्मर जल गया है जिसे यथाशीघ्र बदला जाय,
3. माननीय सदस्य, श्री निर्मल महतो द्वारा आग्रह किया गया कि डुमरी पंचायत स्थित उनके गाँव का रोड जर्जर है जिसे दुरूस्त कराया जाय।

गैर सरकारी संकल्प की समाप्ति के उपरांत सदन नेता सह माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सत्र के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों एवं अन्य विषयों का समुचित उत्तर देते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया।

(सरकार के उत्तर के क्रम में विपक्षी दल के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

9.समापन भाषणः–

सदन को सम्बोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने समापन भाषण में कहा कि तृतीय मानसून सत्र 01 अगस्त से 07 अगस्त, 2025 तक आहूत था, परन्तु बीच सत्र में आदरणीय दिशोम गुरू, श्री शिबू सोरेन के निधन के आलोक में सदन 04 अगस्त, 2025 को स्थगित की गयी। पुनः सदन नेता का प्रस्ताव प्राप्त होने पर 22 अगस्त, 2025 से 28 अगस्त, 2025 तक के लिए आहूत तृतीय (मानसून) पूरक सत्र आज समाप्ति की ओर है।

इस सत्र में कुल–324 प्रश्न स्वीकृत की गयी जिसमें 107 अल्पसूचित, 183 तारांकित तथा 34 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। शून्यकाल की कुल–70 सूचनाएँ स्वीकृत हुई एवं कुल–21 निवेदन प्राप्त हुए। कुल–34 ध्यानाकर्षण प्राप्त हुए जिसमें 20 स्वीकृत हुए तथा 04 ध्यानाकर्षण सदन में उत्तरित हो पाए। इस सत्र में कुल–34 गैर सरकारी संकल्प प्राप्त हुए साथ ही इस सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट सहित 05 अन्य राजकीय विधेयक सदन में उपस्थापित किया गया तदुपरांत सदन द्वारा पारित किया गया।

अपने सम्बोधन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यवाही के बीच एक पीड़ादायक परिणाम भी सामने आती है जिसे साझा करना आवश्यक है। देखा जा रहा है कि **माननीय सदस्यगण अनेक बार अपनी जनप्रतिबद्धता और स्थानीय समस्याओं की अपेक्षा दलगत निर्देशों को प्राथमिकता देने लगते हैं।** जब जनादेश से चुने गये हम सब जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं को पीछे छोड़कर केवल पार्टी कमांड का पालन करते हैं तो यह सदन के लिए, लोकतंत्र के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा तभी बनी रह सकती है जब प्रत्येक सदस्य अपना दायित्व जनता के प्रति निष्पक्षता से पालन करे। आज यह आग्रह करना चाहूँगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की आवाज को कम से कम प्रश्नकाल में प्राथमिकंता जरूर दें। यहाँ मैं सदन के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष, श्री विट्ठल भाई के स्मरण को भी उल्लेख करना चाहूँगा कि **"सदन की शक्ति उसके परम्परा और अनुशासन में यदि नियमों का पालन न हो, तो यह केवल बहस का मंच रह जाएंगा न कि एक लोकतांत्रिक संस्था"।**

अपने सम्बोधन के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि यह सदन झारखण्ड राज्य के निर्माता, समाज सुधारक, वंचितों, दबे–कुचलों, शोषितों, आदिवासियों के हक–हुकूक के लिए हमेशा अपना जीवन न्योछावर करनेवाले दिशोम गुरू, श्री शिबू सोरेन जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान **"भारत रत्न"** प्रदान करने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जो सत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सत्र के संचालन में माननीय मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद्, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के नेता और सभी माननीय सदस्यों का जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं उन्हें धंन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों, विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मी, पुलिस बल और मीडियाकर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस सत्र को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गयी।

माणिक लाल हेम्ब्रम,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

राँची,
दिनांक–28 अगस्त, 2025 ई०।